

कार्यालय कलेक्टर जिला-जशपुर एवं पदेन.उप सचिव छत्तीसगढ़
शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

-00 अधिसूचना 00-

जशपुर, दिनांक 31/03/2017

क्रमांक 01/अ-82/2015-16 चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की मैना लरंगा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर का भू-अर्जन प्रकरण सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है, कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

-अनुसूची-


भूमि का वर्णन -

1. जिला - जशपुर
2. तहसील- बगीचा
3. ग्राम/नगर- लरंगा
4. भूमि का क्षेत्रफल- 1.442 हेक्टेयर


खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
241/3	0.053	381/5	0.040
331/1	0.142	443/2	0.024
248	0.020	446/4	0.073
252	0.012	395/1	0.109
334	0.097	395/2	0.032
327/2	0.057	381/7	0.040
331/2	0.044	395/3	0.105
415/1	0.069	377/4	0.097
409	0.036	394	0.016
384/6	0.065	367/1	0.044
443/1	0.089	381/4	0.028
446/3	0.049	384/7	0.012
378/3	0.089		
योग :- कुल खसरा नम्बर 25 कुल रकबा 1.442 हे.			

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) बगीचा के कार्यालय में किया जा सकता है।


4. उक्त भूमि-अर्जन से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।



भू-अर्जन अधिकारी
बगीचा, जिला-जशपुर(छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,


(डॉ. प्रियंका शुक्ला)
कलेक्टर
जिला-जशपुर
एवं पदेन उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

छायाप्रति सत्यापित




भू-अर्जन अधिकारी
बगीचा, जिला-जशपुर (छ.ग.)

पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन मुआवजा

ग्राम का नाम - लरंगा,

ग्राम पंचायत का नाम - लरंगा

प.ह.न. - 10

स.नि.मं. - सन्ना

तहसील - बगीचा

योजना का नाम - मैना लरंगा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण 0 चेन से 127 चेन हेतु भू-अर्जन प्रकरण

प्रकरण क्रमांक -

क्र.	प्रभावित / विस्थापित का नाम, पिता का नाम	बैंक खाता विवरण			प्रभाव का स्वरूप (प्रभावित या विस्थापित)	विस्थापित परिवारों का मकान प्रदाय					भूमि के बदले भूमि आवंटन		वार्षिकी, रोजगार नियोजन		विस्थापित परिवार को जीवन निर्वाह भत्ता		विस्थापित परिवार को पशुबाड़ा या छोटे कारीगर, छोटे व्यापारी प्रति अनुदान	सिंचाई जल परियोजना में मछली पकड़ने का अधिकार राज्य सरकार द्वारा अधिसूची सीति से		
		बैंक का नाम	बचत खाता क्र.	प्रभावित या (प्रभावित)		प्राप्ता अनुसार निधारित मकान	भूखण्ड का क्षेत्रफल	मकान की लागत	विस्थापित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत विकल्प अनुसार मकान या राशि	अर्जित भूमि का रकबा हेक्टे. में	प्रदत्त भूमि का रकबा हेक्टे. में	परिवार के एक सदस्य को रोजगार नियोजन	प्रभावित परिवार को पांच लाख रु. एक बार सदाय	20 वर्ष तक 2 हजार रु. प्रतिमाह वार्षिकी नीतियां	प्रति माह 1000 रु. की दर से 1 वर्ष तक जीवन निर्वाह भत्ता	अनुसूचित क्षेत्र से अ. जा. या अ. जा. विस्थापन की स्थिति में 50000 रु. निर्वाह भत्ता			प्रति परिवार 50000 रु. की दर से परिवहन खर्च	दुकान के लिए प्रति परिवार 25000 रु. एक बार अनुदान
1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

Sharma
30/11

Sharma
अधीनस्थ अधिकारी
का तहसील विभाग लरंगा
E-Pin: 201001 (B-10)

Sharma
अधीनस्थ अधिकारी
का तहसील विभाग लरंगा
E-Pin: 201001 (B-10)

(हिमशिखर गुप्ता)
कलेक्टर जशपुर
एवं पदेन उपसचिव

Sharma
अधीनस्थ अधिकारी
का तहसील विभाग लरंगा
E-Pin: 201001 (B-10)

(पुष्पेन्द्र कुमार मीणा)
भू-अर्जन अधिकारी
बगीचा, जिला जशपुर (छ.ग.)

कार्यपालक अभियंता

Sharma

Sharma

Sharma

अधीनस्थ अधिकारी
का तहसील विभाग लरंगा
E-Pin: 201001 (B-10)